A.I.A

Sir

कृपया जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा मा० मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (2020-21) के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।

अवगत कराना है कि कुल रु- 10,20,000/- की अवमुक्त राशि से सामूहिक विवाह द्वारा हुए भुगतानों का विवरण निम्नवत है।

(1) 20 कन्याओं के भुगतान — रु- 7.0 लाख
(2) योजना सेवा समिति — रु- 1.20 लाख
(3) 40 मी० स्टेशनरी हेतु — रु- 61,400 हजार

Total रु- 8,81,400.00

अवशेष रु- 1,38,600/- मात्र

तदनुसार निर्धारित प्रारूप पर U/c प्रेषित कर दिया गया है। कृपया हस्ताक्षर हेतु सादर

12/4/22

12.04.22

(16)

534/F/NSA/स्था0
13-10-2021

NSA Sir

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर संलग्न कमेटी के सदस्यों (लिपिक ग्रेडों) की संयुक्त रिपोर्ट पर स्वकीय निर्देशानुसार पत्रावली तैयार किया गया है।

कृपया अनुमोदन की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

ह0
15/9/21
प्र. लिपि.

ह0
16.9.21
NSA

NSA Sir / AHA

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर संलग्न पृष्ठ सं0 - 350 पर समिति / लिपिक ग्रेडों की संयुक्त आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु पत्रावली के दाहिनी ओर संलग्न पृष्ठ सं0- (285) पर तत्कालीन NSA महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिपिक ग्रेडों की समिति बनाई गयी थी तथा स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था कि समिति द्वारा विवाह कार्यक्रम में उपस्थित रहकर विवाह के लाभार्थियों का सत्यापन किया जायेगा।

समिति की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार चेतन देव (समिति (सदस्य) द्वारा समिति के समक्ष लाभार्थियों को बिछुआ, चांदी की पायल, बर्तन इत्यादि नहीं दिये गये है। समिति द्वारा लिखा गया है कि संलग्न लाभार्थियों की सूची का सत्यापन संबंधित पटल लिपिक / कनिष्ठ लिपिक सहायक (NSA) करेंगे, जो कि सेवानिवृत्त है। दिनांक 25.11.20 को आयोजित कार्यक्रम का सत्यापन वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों / लिपिक द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

ह0
13/10/21

ह0
13.10.21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी

15

<u>अपर नगर आयुक्त महोदय</u>

कृपया गत पृष्ठ पर वरिष्ठ लिपिक स्वास्थ्य की आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह दिनांक 25.11.2020 के आयोजन में कन्याओं को संस्कार सामग्री दिये जाने के संस्कार सामग्री के व्यय रू0 1,38,600/-के भुगतान के सम्बन्ध में गठित विभागीय कमेटी डा0 वी0के0सिंघल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, विवाह लिपिक श्री लोकेश परिहार, व अन्य लिपिक श्री कमल किशोर, श्री नितिन कुमार को सामग्री के सत्यापन के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त व्यय सामग्री का गठित कमेटी के प्रभारी डा0 वी0के0सिंघल तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी, श्री लोकेश परिहार, श्री कमल किशोर, श्री नितिन कुमार से बिलों के सत्यापन उपरान्त ही किये जाने का उल्लेख वरिष्ठ लिपिक द्वारा किया गया है।

कृपया संस्था/फर्म से प्राप्त बिलों का सत्यापन कराये जाने के लिए गठित कमेटी के प्रभारी एवं सदस्यों को पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

19.8.21

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा

N.S.A.
तत्कालीन NSA स्थानान्तरित हो चुके हैं अतः आप शेष टीम और सत्यापन कर आख्या दें।
21/8/2021
ANA

24-8-21

NSA Sir
कृ ANA महोदय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में स्वकीय निर्देशानुसार पत्रावली का प्रारूप अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।
31/8/21
व0 लिपिक, स्वास्थ्य

1.09.21
NSA

(14)

पत्रावली के बांयी ओर विभागीय नोट शीट सं0-7 से 9 पर अंकित विभागीय आख्या में 20 जोड़ों हेतु प्रति जोड़ा रू0-51,000/- की दर से स्वीकृत धनराशि रू0-10,20,000/- के सापेक्ष निम्नानुसार भुगतान हेतु संस्तुति करते हुए नगर आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है:-

1.	20 कन्याओं को दी जाने वाली सहायता राशि	-	Rs.35,000/- x 20= Rs.7,00,000/-
2.	चेतना सेवा समिति (रजि0) को व्यवस्था हेतु दी जाने वाली राशि	-	Rs.6,000/- x 20= Rs.1,20,000/-
3.	M/S UP Industrial Corporation Association Ltd., Lucknow को वस्त्रादि हेतु दी जाने वाली राशि	-	Rs.3,070/- x 20= Rs.61,400/-

उपरोक्तानुसार नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति के अनुक्रम में लेखा विभाग द्वारा तीनों मदों में भुगतान कर दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक:-939/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2020-21 दिनांक 05.11.2020 के अनुमोदित विवाह संस्कार सामिग्री (वर्तन, चाँदी की पायल, बिछुआ आदि) की व्यवस्था हेतु रू0-6,930/- प्रति जोड़ा का नगर निगम के पत्रांक-586/D/NSA/2020 एवं 587/D/NSA/2020 दिनांक 24.11.2020 द्वारा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, विकास भवन, आगरा को अधिकृत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में विभागीय आख्या में कोई संस्तुति नहीं की गयी है एवं रू0-6,930/- प्रति जोड़ा की दर से 20 जोड़ों की व्यवस्था हेतु रू0-1,38,600/- मात्र का भुगतान किसी भी संस्था को नहीं किया गया है।

मै0 चेतना सेवा समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.08.2021 के अनुसार प्रति जोड़ा विवाह संस्कार सामिग्री (वर्तन, चाँदी की पायल, बिछुआ आदि) हेतु नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था न होने के कारण तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 बी0के0 सिंघल एवं लिपिक श्री लोकेश परिहार के निर्देशानुसार विवाह संस्कार सामिग्री (वर्तन, चाँदी की पायल, बिछुआ आदि) की व्यवस्था चेतना सेवा समिति द्वारा करायी गयी है तथा प्रत्येक जोड़े को सन्दर्भित सामिग्री की प्राप्ति की रसीद की छायाप्रति तथा क्रय सामिग्री के बिलों की रसीद/बिल संलग्न करते हुए धनांक रू0-1,38,600/- मात्र के भुगतान की मांग की गयी है।

उपरोक्त कार्य का सत्यापन किसी भी विभागीय आख्या में नहीं किया गया है।

उक्त कार्य का सत्यापन सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु विभागीय पत्रांक-585/D/NSA/2020 दिनांक 24.11.2020 द्वारा गठित विभागीय कार्मिकों की समिति के साथ-साथ तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 बी0के0 सिंघल जी द्वारा कराया जाना विभागीय हित में उचित प्रतीत होता है।

कृपया आख्या आदेशार्थ प्रस्तुत है।

A.N.A महोदय

[illegible]

18.8.21

H.S.A

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, आगरा

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

महोदय,

कृपया पत्रावली के दांहिनी ओर संलग्नक चेतना सेवासमिति (रजि०) के संस्थापक अध्यक्ष, के पत्र दिनांक 11.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराया गया है कि विभाग के पत्रांकः-587/D/NSA/2020 एवं 586/D/NSA/2020 एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्रांकः-939/स०क०/मु०सा०वि०यो०/2020-21 दिनांक 05.11.2020 के अनुक्रम में मा० मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 20 चयनित जोड़ो का सामूहिक विवाह तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्रांकः-585/D/NSA/2020 दिनांक 24.11.2020 द्वारा गठित विभागीय समिति के समक्ष माथुर वैश्य महासभा भवन, पंचकुईया, आगरा पर सम्पन्न कराया गया था।

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांकः-939/स०क०/मु०सा०वि०यो०/2020-21 दिनांक 05.11.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रतिजोड़े के विवाह समारोह में रू0-51,000/- (प्रति जोड़ा) की धनराशि निम्नानुसार व्यय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

1. प्रत्येक कन्या के खाते में रू0-35,000/- की धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी।
2. विवाहित जोड़े को रू0-10,000/- की दी जाने वाली आवश्यक सामिग्री में से वस्त्रादि हेतु रू0-3,070/- प्रति जोड़ा की दर से M/S UP Industrial Corporation Association Ltd., Lucknow से क्रय करने एवं अन्य आवश्यक सामिग्री/उपहार (क्रमशः वर्तन, चाँदी की पायल, बिछुऐं आदि) हेतु रू0-3,070/- प्रति जोड़ों की दर से क्रय करने हेतु स्थानीय स्तर पर नगर निगम को करने के लिए अधिकृत किया गया था।
3. सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था हेतु प्रति जोड़ा रू0-6,000/- की दर से करने हेतु नगर निगम को अधिकृत किया गया।

उपरोक्त जिलाधिकारी महोदय के पत्र के क्रम में विभाग (नगर निगम) द्वारा सामूहिक विवाह हेतु जोड़ों का चयन करते हुए जिलाधिकारी महोदय को पत्रांक-586/D/NSA/2020 एवं 587/D/NSA/2020 दिनांक 24.11.2020 द्वारा सूचना-पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार प्रति जोड़ा निर्धारित धनराशि रू0-51,000/- के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय करने हेतु निर्णय लिया गया।

1. शासनादेशानुसार/जिलाधिकारी महोदय के पत्रानुसार प्रत्येक कन्या के खाते में रू0-35,000/- की धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी।
2. विवाह आयोजन के लिए चेतना समिति (रजि०) को कार्यक्रम हेतु टैंट/विद्युत/भोजन/पानी/विवाह संस्कार आदि हेतु रू0-6,000/- प्रति जोड़ा दिया जायेगा।
3. प्रति जोड़ा विवाह संस्कार सामिग्री हेतु रू0-6,930/- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, विकास भवन, आगरा को दिये जायेगें।
4. प्रति जोड़ा वस्त्रादि की व्यवस्था हेतु रू0-3,070/- (प्रति जोड़ा) M/S UP Industrial Corporation Association Ltd., Lucknow को दिये जायेगें।

वाउचर सं. 2320 दिनांक 06.07.21
चैक नं. 778226 - SBI
धनराशि Rs 7,00,000

वाउचर सं. 2321 दिनांक 06.07.21
चैक नं. 778227 - SBI
धनराशि Rs 61,400

वाउचर सं. 2322 दिनांक 06.07.21
चैक नं. 778228 - SBI
धनराशि Rs 1,20,000

11

लेखाकार/लेखाधिकारी/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/नगर आयुक्त महोदय,

कृपया पत्रावली के बांयी ओर पृष्ठ सं0–09 व 10 पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय की आख्या दिनांक 23.02.2021 पर अपर नगर आयुक्त महोदय की संस्तुति दिनांक 24.02.2021 एवं नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.06.2021 के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन पंचकुइया, आगरा पर 20 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन चेतना सेवा समिति(रजि0), संजय प्लेस, आगरा द्वारा सम्पन्न कराया गया है। विभागीय संस्तुति के क्रम में विवरणानुसार भुगतान बिल पास किये गये। विवरण निम्नवत् हैः–

1. 20 कन्याओं को दी जाने वाली धनराशि–

   रु. 35000×20=7,00,000/–

2. चेतना सेवा समिति(रजि0), संजय प्लेस, आगरा को दी जाने वाली धनराशि–

   रु. 6000×20=1,20,000/–

3. यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल कॉपरेटिव एसोसिएशन को दी जाने वाली धनराशि–

   रु. 3070×20=61,400/–

कुल योग रु. 8,81,400/– मात्र (आठ लाख इक्यासी हजार चार सौ मात्र)

03/7/2021 AO

लेखाकार
नगर निगम, आगरा

03/7/21
लिपिक
लेखाविभाग
नगर निगम, आगरा

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
नगर निगम, आगरा

5/07/21
नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

(10)

अपर नगर आयुक्त / नगर आयुक्त

कृपया पत्रावली के बायीं ओर पृष्ठ संख्या 8 की विभागीय आख्या अनुसार माननीय मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन, पचकुईयाँ आगरा पर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 जोड़ों के विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26.03.2017–4(188)/93 टी.सी. दिनांक 12.10.2017 के अनुपालन में सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु प्रत्येक जोड़े एवं संस्थाओं को निम्नवत धनराशि का भुगतान किया जाता है, यह धनराशि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर निगम आगरा को अवमुक्त की गई है।

पत्रावली के बाईं ओर नोट शीट संख्या 8 के अनुसार दिनांक 25.11.2020 में माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुईयाँ में सम्पन्न हुए 20 कन्याओं के विवाह के उपरान्त सलंग्न सूची के अनुसार निम्नानुसार भुगतान किया जाना है।

1. 20 कन्याओं को दी जाने वाली धनराशि
   रू0 35,000 × 20, = 7,00,000/– e.Bill Passed.
2. चेतना सेवा समिति (रजि0) संजय प्लेस, आगरा को दी जाने वाली धनराशि
   रू0 6000 × 20, = 1,20,000/–
3. यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कॉपरेटिव एसोसिएशन को दी जाने वाली धनराशि
   रू0 3,070 × 20, = 61,400/–

अतः उपरोक्तनुसार विवरण के अनुसार धनराशि रू0 8,81,400/– देय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

29.06.21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी

श्रीकमल किशोर
01/7/2021 AO

30/6/2021 ANA

Passed.
(3) e-Bill – 35000×20 = 7,00,000/–
– 6000×20 = 1,20000/–
– 3070×20 = 61400/–
30/06/21
NA

कुल = 8,81,400 —
AAO
03/7/21 03/07/2021

(9)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय / AWA/NA महोदय

कृपया गत पृष्ठ पर लेखाधिकारी की आपत्ती / आख्या दिनांक–05.01.21 के क्रम बिन्दु बार आख्या निम्नवत् है:--

1. पत्रावली के दायीं ओर पृष्ठ 255 (पूर्व पृष्ठ 290) पर 20 लाभार्थियों की सलग्न सूची को सत्यापित कर दिया गया है।

2. बिन्दु–2 के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम, आगरा द्वारा 25 जोडे पात्र पाये गये थे जिसमें से पाँच जोडे 1.कु0 शिवानी गोयल पुत्री श्री शैलेन्द्र गोयल, 2. कु0 भारती पुत्री श्री हरीशंकर, 3.कु0 ईशु कुशवाह पुत्री श्री निहाल सिंह, 4. कु0 कल्पना गोस्वामी पुत्री श्री गंगा प्रसाद, 5.कु0 नीलम पुत्री श्री राकेश प्रजापति, विवाह हेतु अनुपस्थित थे। लेकिन जिलासमाज कल्याण विभाग / सी0डीओ0 भवन द्वारा 24 जोडे वस्त्र आदि दिये गये थे (एक जोडा कम दिया था) 20 जोडे उपस्थित हुए थे। जिसको वस्त्रादि दिये गये थे बाकी 4 जोडे के वस्त्रादि जिला समाज कल्याण विभाग को वापस कर दिये गये थे। जिसकी सूची पृष्ठ 253 (पूर्व पृष्ठ 287) पर सलंग्न है। पृष्ठ 286 (पूर्व पृष्ठ–282) पर पात्र 7 जोडों में से 4 जोडे विवाह समारोह में अनुपस्थित हुए थे। 3 जोडे अनुपस्थित थे तथा दूसरी सूची पृष्ठ–287 (पूर्व पृष्ठ–286) में 2 जोडे अनुपस्थित थे इस प्रकार 5 जोडें अनुपस्थित थे / अपात्र का प्रश्न नहीं उठता।

3. पत्रावली की दाईं ओर पृष्ठ–160 कु0 भारती पुत्री शंकरलाल के सलग्न विवाह प्रपत्रों में विवाह स्थल जी0आई0सी0 फील्ड आगरा लिखा है जबकी विवाह स्थल माथुर वैश्य महासभा भवन में हुआ था। पूर्व में सामूहिक विवाह का आयोजन माथुर वैश्य महासभा भवन एवं जी0आई0सी0 फील्ड आगरा दोनों में अयोजित हुआ था। सम्भवतया इसी कारण से विवाह सम्मेलन जी0आई0सी0 फील्ड आगरा लिख दिया गया है।

4. पत्रावली की दाईं ओर पृष्ठ–83 पर कु0 नीतु बाथम पुत्री लल्लन कश्यप के सलंग्न विवाह प्रपत्रों में आवेदिका का खाता संख्या उपलब्ध न होने पर उसके भाई श्री सतीश पुत्र लल्लन कश्यप का बैंक खाता सलग्न किया है। इस बावत क्षेत्रीय एस0एफ0आई0 की टिप्पणी उपलब्ध है।

5. पृष्ठ–28 पर कु0 दिपिका पुत्री श्री राजकुमार दर्शाया गया है किन्तु सदर तहसील आगरा द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र के अनुसार अवेदिका पात्र है। पृष्ठ– 20 पर सलंग्न है। क्षेत्रीय पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित विवाह प्रमाण–पत्र में विवाह की तिथि का उल्लेख कर दिया गया है।

6. पत्रावली की दाईं ओर पृष्ठ–13 पर संलग्न कु0 ज्योति पुत्री श्री मोहन सिंह के हस्ताक्षर है सम्भवतः उक्त कागज मोहन सिंह द्वारा उपलब्ध करायें गये है इसलिए उनके हस्ताक्षर करा लिये गये है। सम्पन्न कराने गये विवाह प्रमाण–पत्रों, बैंक पासबुक की छायाप्रतियों का प्रमाणित करा दिया गया है बैंक खाता / आई0एफ0एस0सी0 कोड का मिलान करा दिया गया है। जो दाई ओर पृष्ठ सं0 294 पर संलग्न है। लेखाधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से वित्तीय एंव प्रशानिक स्वीकृति प्राप्त कर पत्रावली लेखाविभाग में पुनः भेजनें की अपेक्षा की गई है।

अतः पत्रावली वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु लेखाधिकारी / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को भेजने के क्रम मे नगर आयुक्त महोदय को अग्रसारित करने का कष्ट करें। 22/02/21

23.2.2021
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, आगरा

संस्तुति सहित प्रेषित।
24/2/2021
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

(8)

अपर नगर आयुक्त / नगर आयुक्त महोदय

कृपया लेखधिकारी की गत पृष्ट-7 पर आख्या दिनांक 15.01.2021 के क्रम में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक 597 / डी0 / एन0एस0ए / 20 दिनांक 03.12.2020 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन, पचकुइयाँ, आगरा पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 20 जोडों की उपस्थिति / विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त पूर्व प्रेषित पत्रांक 586 व 587 / डी0 / एन0एस0ए0 / 20 दिनांक 24.11.2020 के क्रम में धनराशि की मांग की गई थी। जिसके क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पत्रांक सी–1158 / स0क0 / मु0सा0वि0यो0 / 20–21 दिनांक 14.12.2020 द्वारा अवगत कराया है कि मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि धनांक रू0– 10,20,000 / – नगर निगम आगरा के खाता संख्या– 10033310034 में हस्तानान्तरित कर दी गयी है। नगर निगम आगरा द्वारा चेतना सेवा समिति (रजि0) के सहयोग से दिनांक 25.11.2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुइंया में 20 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। उक्तवत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि देय की जानी है।

1. 20 कन्याओं को दी जाने वाली धनराशि रू0 35,000 X 20=70,00,00 / –

2. चेतना सेवा समिति (रजि0) संजय प्लेस, आगरा को दी जाने वाली धनराशि रू0 6000 X 20=1,20,000 / –

3. यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कॉपरेटिव एसोसिएशन को दी जाने वाली धनराशि रू0 3,070 X 20=61,400 / –

अतः उपरोक्तनुसार विवरण के अनुसार धनराशि रू0 8,81,400–/ देय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

21/01/21 21-01-21
लिपिक HC
(नितिन कुमार) (लोकेश परिहार)

श्री नितिन
श्री देवेन्द्र सिंह, सचिव ... (बाबू जी) ... लेखाधिकारी की टिप्पणी ...
... पत्रावली ... की ...
21-02-21
HC.

22/1/2021
प्रभारी स्वास्थ्य,
नगर निगम, आगरा

22/1/2021
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

लेखाकार/लेखाधिकारी महोदय,

कृपया गत पृष्ठ सं0 05 पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी की आख्या दिनांक 12.01.21 का अवलोकन करने का क़ष्ट करें। अवगत कराना है कि पत्रवाली में भुगतान से पूर्व निम्नवत कमियां पाई गई।

1. पत्रावली के दांई ओर पृष्ठ सं0 290 पर 20 पात्र लाभार्थियों को दिये जाने वाली विवाह सामग्री (वस्त्रादि) जिसकी धनराशि रु. 3070/- का भुगतान यू0पी0 इंडस्ट्रीयल कोर्पोरेशन एसोसियेशन लि0 को किया जाना है। संलग्न सूची का प्रमाणन नही किया गया।

2. पत्रावली के दांई ओर पृष्ठ सं0 287 पर सामूहिक विवाह हेतु 24 जोड़ो में से 20 जोड़ो का उल्लेख किया गया है। 4 अपात्र जोड़ो का जिनसे वस्त्र आदि प्राप्त किये गये है का उल्लेख नहीं है साथ ही दांई ओर पृष्ठ सं0 282 पर सामूहिक विवाह हेतु 7 लाभार्थियों के नाम दर्शाये गये है। जिनमे से 4 ऐसे लाभार्थी है जो 20 पात्र लाभार्थियों की सूची में सम्मितित है जबकि अपात्र आवेदन कर्ताओं की संख्या 4 दर्शायी गयी है।

3. पत्रावली के दांई ओर पृष्ठ सं0 160 पर कु0 भारती पुत्री शंकर लाल के संलग्न विवाह प्रपत्रों में शादी कार्ड संलग्न किया गया है। जिसमें उल्लेखित विवाह स्थल ओर सम्पन्न कराये गये विवाह स्थल में भिन्नता है।

4. पत्रावली के दांई ओर पृष्ठ सं0 83 पर कु0 नीतू बाथम पुत्री लल्लन कश्यप के संलग्न विवाह प्रपत्रों में आवेदिका के स्थान पर उसके भाई सतीश कश्यप का बैंक खाता सं0 39308100000337 संलग्न किया गया है।

5. पत्रावली के दांई ओर पृष्ठ सं0 28 पर कु0 दीपीका पुत्री राजकुमार के संलग्न विवाह प्रपत्रों की जांच आख्या में एस0एफ0आई0 श्री आदित्य पाण्डेय हरीपर्वत-4 द्वारा उक्त लाभार्थी का नाम बी0पी0एल0 कार्ड में नहीं होना दर्शाया गया है जबकि क्षेत्रीय पार्षद द्वारा दिये विवाह प्रमाण पत्र में विवाह की तिथि का उल्लेख नहीं है।

6. पत्रावली के दांई ओर पृष्ठ सं0 13 पर संलग्न कु0 ज्योति पुत्री मोहन सिंह के साथ सम्पन्न विवाह श्री दीपक कुमार के साथ कराया गया जिसमें श्री दीपक कुमार की हाई स्कूल अंक तालिका पर कु0 ज्योति के पिता मोहन सिंह के हस्ताक्षर है साथ ही यह भी संज्ञान लेने का कष्ट करें कि सम्पन्न कराये गये विवाह प्रमाण पत्रों, बैंक की छाया प्रतियों इत्यादि का प्रमाणन किसी भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है साथ ही सम्बन्धित लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि के नाम बैंक खाता संख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड का मिलान करा लिया जाये एवं सक्षम अधिकारी से भुगतान किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए पत्रावली लेखा विभाग में पुन प्राप्त कराये जाने हेतु आख्या सेवा में प्रस्तुत है। MSA

13.1.2021
लेखा विभाग
नगर निगम, आगरा

15/1/21
A.O.

Vishnu Babu

16/1/2021

(6)

श्री विष्णु

पृ० प्राप्त धनराशि का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही करें

14/01/21

लेखाकार/लेखाधिकारी

पृष्ठ सं० - (7) पर आख्या प्रस्तुत है।

15/1/2021

(5)

<u>मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय</u>

जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्रांक–सी0–1158 / स0क0 / मु0सा0वि0यो0 / 2020–2021 दिनांक 14.12.2020 द्वारा अवगत कराया है कि चल वित्तीय वर्ष 2020–21 में "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" दिनांक 25 नवम्बर 2020 को सम्पन्न हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित जोडों की धनराशि का प्रेषण" विषयगत 25 नवम्बर 2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन, पंचकुइयां, आगरा पर आयोजित 20 जोडों के विवाह उपरान्त नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक 597 / डी0 / एन0एस0ए0 / 2020 दिनांक 03.12.2020 के क्रम में 20 जोडों की धनराशि रू0 1020000.00 / – नगर निगम आगरा के कोष में जमा करा दी गयी है।

अतः निम्नानुसार धनराशि खातों में आंवटित करने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	नाम	पिता	खाता संख्या	आई0एफएस0सी0कोड	धनराशि
1	कु0 सुमन	श्री विजय सिंह	111311010000826	BKIDOARYAGB	35000
2	कु0 ज्योति	श्री पदम सिंह	0030001500013830	PUNB0003000	35000
3	कु0 नीतू कश्यप	श्री सुरेश चन्द कश्यप	59101875959	282010013	35000
4	कु0 रेखा	श्री डूमर सिंह	03911000058027	PSBI0000391	35000
5	कु0 पूजा	श्री संजीव सिंह	35808100018644	BARBOTRANSY	35000
6	कु0 पूजा	श्री मनोज	0194108027364	CNRB0000194	35000
7	कु0 मोहिनी	श्री सुरेश चन्द	05070110038062	UCBA0000507	35000
8	कु0 भारती	श्री शंकर लाल	108422121012946	ORBC0100842	35000
9	कु लीना डेमला	श्री सतीश कुमार	0328010177740	UTBIOSHA511	35000
10	कु0 रूबी	श्री बाबूलाल	50007048976	ALLA0210128	35000
11	कु0 पूनम	श्री मक्खन लाल	0322101056758	CNRB0000322	35000
12	कु0 ज्योति	श्री प्रभु दयाल	054110115361	IPOS0000001	35000
13	कु0 अन्नू	श्री रमेश चन्द	46968100000254	BARBOKAILAS	35000
14	कु0 नीतू बातम	श्री लल्लन कश्यप	39308100000337	BARBOKHAGRA	35000
15	कु0 शिवनम	श्री ओमप्रकाश कुशवाह	23390100020698	BARBOLAWERS	35000
16	कु0 शिवा कश्यप	श्री सीताराम कश्यप	22040100019688	BARBOSANJAY	35000
17	कु0 पूजा	श्री द्वारिका प्रसाद	38277920555	SBIN0001931	35000
18	कु0 श्वेता	श्री राजीव बन्सबाल	3133720120	CBIN0280234	35000
19	कु0 दीपिका	श्री राजकुमार	520101266451861	CORP0003190	35000
20	कु ज्योति	श्री मोहन सिंह	750002010005353	UBIN0575003	35000

क्र0सं0	नाम	खाता संख्या	आई0एफएस0सी0कोड	धनराशि
1.	यु0पी इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0	020702000000284	IOBA0000207	61400

उपरोक्तानुसार आख्या / सूची अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, आगरा

(4)

NSA पत्र

क्र0 मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिनांक 25-11-2020 को 20 जोड़ों के उपस्थित होकर विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराया है जबकि 25 जोड़ों को चयनित किया गया था तथा पूर्व पत्रांक 586/D/NSA/2020 द्वारा दिनांक 24-11-20 द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत लिखा गया था। ~~[struck]~~ जबकि 5 जोड़े अनुपस्थित रहे हैं। तदनुसार 20 जोड़ों की धनराशि के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को जाने वाले पत्र का आलेख मानी और अवलोकनार्थ / हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत है।

(signature) 02-12-2020
HC Health

(signature) 2/12/20
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, आगरा

(signature) 4/12/2020
ANA
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

③

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया "मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक योजना" के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26.03.2017--4(188)/93टी.सी. दिनांक 12.10.2017 एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 939/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2020--21 दिनांक 05.11.2020 के अनुक्रम में दिनांक 25.11.2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन, पंचकुइया, आगरा पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत पात्र 07 जोड़ों की सूची जिलाधिकारी महोदय, आगरा के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्रावली के दांयी ओर संलग्न है। अतः अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

24/11/20

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, आगरा

21/11/2020
ANA

(2)

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया "मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक योजना" के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26.03.2017–4(188)/93टी.सी. दिनांक 12.10.2017 एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 939/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2020–21 दिनांक 05.11.2020 के अनुक्रम में दिनांक 25.11.2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन, पंचकुइया, आगरा पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत पात्र 07 जोड़ों की सूची जिलाधिकारी महोदय, आगरा के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्रावली के दांयी ओर संलग्न है। अतः अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा
24-11-2020

24/11/2020
ANA

(1)

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया "मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक योजना" के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26.03.2017–4(188)/93टी.सी. दिनांक 12.10.2017 एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 939/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2020–21 दिनांक 05.11.2020 के अनुक्रम में दिनांक 25.11.2020 को माथुर वैश्य महासभा भवन, पंचकुइया, आगरा पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत पात्र 18 जोड़ों की सूची जिलाधिकारी महोदय, आगरा के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्रावली के दांयी ओर संलग्न है। अतः अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

HC

24/11/20

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, आगरा

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, आगरा

24/11/2020
ANA

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा